न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बडगांव /सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी कमर चौधरी, आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 3/2018 प्रार्थना पत्र

1. सरकार जरिये तहसीलदार बडगांव जिला –उदयपुर (राज.)।

प्रार्थी

बनाम

1. प्रेमसिंह पिता भेरूसिंह चदाणा निवासी – वाण की भागल, मारूवास तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
2. मोहनी पुत्री भेरूसिंह चदाणा निवासी – वाण की भागल, मारूवास तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
3. राधा पुत्री भेरूसिंह चदाणा निवासी – वाण की भागल, मारूवास तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
4. केसीबाई पत्नी भेरूसिंह चदाणा निवासी – वाण की भागल, मारूवास तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
5. देवीसिंह पिता पृथ्वीसिंह चदाणा निवासी – वाण की भागल, मारूवास तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
6. गणेशसिंह पिता पृथ्वीसिंह चदाणा निवासी – वाण की भागल, मारूवास तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
7. चन्दाबाई पुत्री पृथ्वीसिंह चदाणा निवासी – वाण की भागल, मारूवास तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
8. किसना पिता लाडू चदाणा निवासी – वाण की भागल, मारूवास तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
9. शम्भूसिंह पिता चुनसिंह चदाणा निवासी – वाण की भागल, मारूवास तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
10. मीरा पुत्री चुनसिंह चदाणा निवासी – वाण की भागल, मारूवास तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
11. गलकीबाई पत्नी स्व. चुनसिंह चदाणा निवासी – वाण की भागल, मारूवास तहसील–बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
12. रतनीबाई पुत्री नवा परमार निवासी – वाण की भागल, मारूवास तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
13. पनसिंह पिता नवासिंह चदाणा निवासी – वाण की भागल, मारूवास तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
14. कनसिंह पिता लाडूसिंह चदाणा निवासी – वाण की भागल, मारूवास तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांकः–

बकुलाय पक्षकारान उपस्थित प्रकरण का अवलोकन किया गया संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार बडगांव द्वारा प्रतिवादीगण सर्व श्री प्रेमसिंह मोहनी राधा पिता भेरूसिंह केसीबाई पत्नी भेरूसिंह, देवीसिंह गणेशसिंह चन्दाबाई पिता पृथ्वीसिंह, किशना पिता लाडू, शम्भुसिंह मीरा पिता चुनसिंह गलकीबाई पत्नी स्वर्गीय चुनसिंह, पनसिंह पिता नवासिंह, कनसिंह पिता लाडूसिंह चदाणा व रतनीबाई पुत्री नवा परमार सभी निवासी वाण की भागल, मारूवास के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जमाबन्दी सेग्रीगेशन प्रोग्राम के तहत सभी खातेदारो का हिस्सा अलग–अलग किया जाना है इस हेतु ग्राम मारूवास की जमाबन्दी में खातेदारों के हिस्सों की जांच किये जाने पर हाल खाता संख्या 177 की आराजी संख्या 1551, 1554, 1555 कुल किता 3 रकबा 13 बिस्वा में खातेदार प्रेमसिंह मोहनी राधा पिता भेरूसिंह मु. केसीबाई पत्नी भेरूसिंह 10/432 देवीसिंह गणेशसिंह चन्दाबाई पिता पृथ्वीसिंह 30/432 किशना पिता लाडू 10/108 शम्भूसिंह मीरा पिता चुनसिंह गलकीबाई बेवा चुनसिंह जाति 5/54 हि.ब. चदाणा वाण की भागल गोपीलाल रामचन्द्र रमेशचन्द्र बंशीलाल पिता मन्नालाल 1/8 हि.ब. आशाराम पिता नाथूलाल 1/4 हि. ब. ब्राहमण कठार खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार हाल खाता संख्या 209 की आराजी संख्या 1539, 1540, 1561, 1562 कुल किता 4 रकबा 10 बिस्वा में खातेदार रतनबाई पिता नवा धर्मपत्नी चुनसिंह परमार 5/72 पनसिंह पिता नवा सिंह 5/72 कनसिंह पिता लाडुसिंह चदाणा 5/108 सा. देह वाण की भागल मगनलाल पिता छगनलाल 1/8 आसाराम पिता नाथूराम 1/4 हि. ब्राहमण सा. कठार खातेदार दर्ज है। दोनों की खातों में सभी हिस्सों का योग मिलाकर 1/1 नहीं होता है। इसलिए हिस्सो में अंकन त्रुटीपूर्ण होने से इस बाबत पटवारी हल्का कठार एवं भू–अभिलेख निरीक्षक लोसिंग द्वारा जांच करवाई गई जिसमें जांच रिपोर्ट में यह त्रुटि पूर्व भू–प्रबन्ध से ही होना जाहिर आया है। पूर्व की भू प्रबन्ध जमाबन्दी संवत 2031 मे भी उक्त खातो में क्रमशः खाता संख्या 55 आ.न. 1539, 1540, 1561, 1562 कुल किता 4 रकबा 10 बिस्वा में खातेदार नवा वरदा माना पिता उदा 5/18 ही.ब. चदाणा सा. वाण की भागल म. देह मगनलाल पिता छगनलाल 1/8 आसाराम पिता नाथूलाल 1/4 ब्राहमण सा. कठार खातेदार एवं

खाता सख्या 65 आ.न. 1551, 1554, 1555 कुल किता 3 रकबा 13 बिस्वा में खातेदार प्रथा कन्ना चुनिया पिता लाडू 5/18 चदाणा हि.ब. सा. वाण की भागल म. देह मगनलाल पिता छगनलाल 1/8 आसाराम पिता नाथूलाल 1/4 ब्राहमण सा. कठार खातेदार दर्ज है। उक्त दोनो ही खातों में हिस्सों का योग 1/1 नही होकर दोनो में राजपुत खातेदारों का हिस्सा 5/18 त्रुटीपूर्ण अंकित है। जो आदिनांक तक बनने वाली सभी रोटेशन जमाबन्दीयो में त्रुटीपूर्ण अंकित होकर वर्तमान में भी त्रुटीपूर्ण है। उक्त त्रुटीपूर्ण हिस्सा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जमाबन्दी बनाये जाने के दौरान गलत दर्ज हो गया है। जो आदिनांक तक निरन्तर चला आ रहा है जो 5/18 के बजाय 5/8 होना चाहिये । 5/8 अंकित करने पर हिस्सों का योग 1/1 हो जाता है। मौके पर की गई जांच अनुसार सम्पूर्ण हिस्सा पूर्व में मौजा कठार के ब्राहम्ण खातेदारों का था जो बाद में विक्रय द्वारा विपक्षीगण राजपुत खातेदारों के नाम दर्ज हुआ है । जिससे राजपुतो को विक्रित किये गये हिस्से में ही त्रुटी हुई है ब्राहमणों का हिस्सा आज भी पूर्ववत सही दर्ज है अतः विपक्षी गणों का हिस्सा सेटलमेन्ट जमाबन्दी में 5/18 के बजाय 5/8 दर्ज किया जाकर खाता दुरस्त करने हेतु निवेदन किया है। इस बाबत वास्ते प्रमाण प्रार्थी द्वारा दस्तावेज भू–प्रबन्ध जमाबन्दी व हाल जमाबन्दी की नकले एवं पटवारी हल्का कठार व भू–अभिलेख निरीक्षक लोसिंग द्वारा इस बाबत की गई जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की ।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को जरिये सूचना पत्र तलबी करवाई जाकर दिनांक 10.01.18 को उनको इस बाबत अपने पक्ष में साक्ष्य सबूत प्रस्तुत कर प्रकरण में अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया।

उपस्थित विपक्षीगण द्वारा आज दिनांक 10.01.18 को जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। परन्तु उपस्थित पक्षकारान ने पूर्व रिकार्ड में त्रुटिपूर्ण हिस्से में आवश्यक संशोधन करते हुए भुमि खाते रखी जाने का निवेदन किया। हिस्सा कम ज्यादा दर्ज हुआ है तो शुद्धि किये जाने पर कोई आपत्ति नही की है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार बडगांव द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं पटवारी हल्का कठार एवं भू–अभिलेख निरीक्षक लोसिंग की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। समस्त दस्वातेज एवं रिपोर्ट से यह तथ्य जाहिर आया कि जमाबन्दी के प्रत्येक खाते में हिस्सों का योग 1/1 होना चाहिये। जो कि मौजा मारूवासी की जमाबन्दी में भू–प्रबन्ध जमाबन्दी संवत् 2031 से ही की खाता संख्या 55 आराजी किता 4 रकबा 10 बिस्वा व खाता संख्या 65 आराजी किता 3 रकबा 13 बिस्वा में त्रुटीपूर्ण अंकित है दोनों ही खातो में समस्त हिस्सो का योग 1/1 नहीं है जिससे हिस्सों का त्रुटीपूर्ण होना जाहिर होता है। जांच रिपोर्ट

में यह तथ्य भी प्रकट आया है कि दोनों ही खातो में पूर्व में सभी खातेदार ब्राहमण थे। उन्ही से विपक्षीगण राजपुत खातेदारो द्वारा भूमी क्रय की गई है उसी दौरान उनके ही हिस्सों में त्रुटीपूर्ण अंकन होना जाहिर होता है। जिससे न्यायालय का निष्कर्ष है कि विपक्षीगण खातेदारों का हिस्सा 5/18 की बजाय दुरूस्त कर 5/8 किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम मारूवास की हाल जमाबन्दी खाता संख्या 177 व 209 में हिस्सा शुद्ध कर सहीं अंकन करने की स्वीकृति दी जाती है। हाल खाता संख्या 177 आराजी संख्या 1551, 1554, 1555 कुल किता 3 रकबा 13 बिस्वा में प्रस्तावित नवीन इन्द्राज प्रेमसिंह मोहनी राधा पिता भेरूसिंह केसीबाई पत्नी भेरूसिंह 5/96 देवीसिंह 5/96 गणेशसिंह 5/96 चन्दाबाई 5/96 पिता पृथ्वीसिंह किशना पिता लाडू 5/24 शम्भूसिंह मीरा पिता चुनसिंह गलकीबाई पत्नी स्व. चुनसिंह 5/24 चदाणा वाण की भागल गोपीलाल रामचन्द्र रमेशचन्द्र बंशीलाल पिता मन्नालाल 1/8 आशाराम पिता नाथूलाल 1/4 ब्राहमण सा. कठार खातेदार एवं इसी प्रकार हाल खाता संख्या 209 की आराजी संख्या 1539, 1540, 1561, 1562 कुल किता 4 रकबा 10 बिस्वा में रतनबाई पिता नवा धर्मपत्नी चुनसिंह परमार 1/4 पनसिंह पिता नवासिंह चदाणा 1/4 कनसिंह पिता लाडुसिंह जाति चदाणा 1/8 सा. देह वाण की भागल मगनलाल पिता छगनलाल 1/8 आसाराम पिता नाथूराम 1/4 हि. ब्राहमण सा. कठार खातेदार दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार बडगांव हाल रेकर्ड एवं सेटलमेन्ट के पूर्व के रेकर्ड की पूर्ण जांच करके ही रेकर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

कमर चौधरी
(आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बडगांव
जिला उदयपुर (राज.)